



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1079 सन् 2026

श्रीमती मंजू

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जितेंद्र यादव, संजय कुमार यादव

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. लेखपाल द्वारा दिनांक 20.08.2020 को प्रस्तुत आख्या के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे वाद संख्या 01709 सन् 2020, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202011080401709 के रूप में दर्ज किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा दिनांक 29.04.2025 के आदेश के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। उपरोक्त आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को बेदखल कर दिया गया था।

2. उपरोक्त के विरुद्ध व्यथित होकर, धारा 67(5) के अधीन वैधानिक अपील दायर की गई थी जिसे वाद संख्या 516 सन् 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202511080000516 (श्रीमती मनु बनाम गांव सभा) के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त अपील को जिला अधिकारी, तहसील-खागा, जिला बागपत ने 13.10.2025 को खारिज कर दिया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।
4. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश **ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2023(1) एडीजे 154** के मामले में पारित आदेश के पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, इसलिए ये रद्द किए जाने योग्य हैं।
5. इस तथ्य को उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
6. इसे ध्यान में रखते हुए, चूँकी उत्तरदाता संख्या 3- सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील-बड़ौत, जिला बागपत द्वारा वाद संख्या 01709 सन् 2020, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202011080401709, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अधीन पारित आदेश दिनांक 29.04.2025 के साथ-साथ जिला अधिकारी तहसील-खागा, जिला बागपत द्वारा वाद संख्या 516 सन् 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202511080000516 (श्रीमती मनु बनाम गांव सभा) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अधीन पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, जो रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा इन्हें रद्द किया जाता है।
7. रिट याचिका की स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।
8. उत्तरदाता संख्या 3/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तहसील-बड़ौत, जिला बागपत को **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2022 के पैराग्राफ -74 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से **चार महीने** की अवधि के भीतर, एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 10, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"